न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 342/2023

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. सत्यनारायण पुत्र जोधाराम 2. घनश्याम पुत्र सत्यनारायण 3. राधेश्याम पुत्र सत्यनारायण (जाति विश्नोई, निवासी ग्राम सिंगडसर, तह0 लोहावट, जिला फलौदी)		1. चेनाराम पुत्र खानूराम पौत्र लूम्बाराम जाति विश्नोई, ग्राम सिंगडसर, तहसील लोहावट, जिला फलौदी **प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण–** 2. मनोहरराम पुत्र स्व0 रूघनाथराम 3. नारायणराम पुत्र स्व0 रूघनाथराम 4. हडमानाराम पुत्र स्व0 रूघनाथराम 5. हंसराज पुत्र स्व0 रूघनाथराम (जाति विश्नोई, निवासी ग्राम सिंगडसर, तह0 लोहावट, जिला फलौदी) 6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी लोहावट राजस्व प्रकरण सं0 80/2022 दिनांक 18.07.2023

उपस्थित–
1. श्री पूनाराम विश्नोई वकील अपीलांट
2. श्री नाहरसिंह सोलंकी वकील रेस्पो0 सं0 1

निर्णय

दिनांक 07.10.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा अंतर्गत धारा 136 आरएलआर, एक्ट के तहत प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1–चेनाराम पुत्र खानूराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/प्रकरण सं0 80/2022 में पारित निर्णय दिनांक 18.07.23 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी ने अंतर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील लोहावट के ग्राम सिंगडसर के खसरा नं0 1850 रकबा 58.17

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बीघा की भूमि में 1/3 हिस्सा उसके पिता खान के नाम दर्ज थी। जो सेग्रीगेशन में लिपिकीय त्रुटीवश जमाबंदी संवत् 2074–78 (वर्ष–2000) में 1/3 हिस्से के स्थान पर 1/6 वां हिस्सा दर्ज हो गई। जबकि वास्तव में उसके पिता का 1/3 हिस्सा बंट आता है, जो पिछले राजस्व रेकर्ड से यथावत चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार सत्यनारायण पुत्र जोधाराम (अप्रार्थी सं0 3– अपीलांट सं0 1) व रूगनाथराम पुत्र लूम्बाराम (अप्रार्थी सं0 4–प्रफोर्मा प्रत्यर्थी 2 से 5) को छोडकर अन्य सभी पूर्व खातेदार (जमाबंदी संवत् 2070–73) के अनुसार अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान घनश्याम व राधेश्याम (अप्रार्थी सं0 1 व 2– अपीलांट सं0 2 व 3) के पक्ष में कर दिया गया है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम बेचानकर्ता के हिस्से से अधिक भूमि दर्ज हुई है। प्रार्थी के पिता का हिस्सा 1/3 से कम कर 1/6 दर्ज कर दिया गया है। जिसे दुरूस्त कर प्रार्थी के पिता का 1/3 हिस्सा तथा शेष अप्रार्थी का हिस्सा 2/3 दर्ज करावे। जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.23 द्वारा स्वीकार कर, ग्राम सिंगडसर के ख0नं0 1850 रकबा 58.17 बीघा के राजस्व रेकार्ड में खान पुत्र प्रतापाराम का 1/3 हिस्सा, घनश्याम पुत्र सत्यनारायण का 16553/84744 हिस्सा, राधेश्याम पुत्र सत्यनारायण का 16553/84744 हिस्सा, सत्यनारायण पुत्र जोधाराम का 1/36 हिस्सा दर्ज करने हेतु तहसीलदार लोहावट का आदेशित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी द्वारा अंतर्गत धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया कि उसके पिता खान के नाम ग्राम सिंगडसर के खसरा नं0 1850 रकबा 58.17 बीघा में 1/3 हिस्सा स्थित है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में त्रुटीवश 1/6 दर्ज हो गया है, जबकि प्रार्थी के पिता का 1/3 हिस्सा बंट में आता है। इस कारण राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी के पिता का 1/3 वां हिस्सा एवं शेष अप्रार्थीगण के हिस्से में 2/3 हिस्सा दर्ज किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रत्यर्थी सं0 1–अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब में यह उल्लेखित किया गया कि प्रार्थी के पिता का नाम खानूराम है। जमाबंदी संवतः 2074–77 के अनुसार रेकर्ड में खान पुत्र प्रतापाराम के नाम 1/6 हिस्सा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दर्ज है, जो सही है। प्रार्थी के पिता का नाम खान पुत्र प्रतापाराम नही है, बल्कि इनका वास्तविक नाम खानूराम पुत्र लूम्बाराम है। प्रार्थी खान पुत्र प्रतापा का वारिस नही है। इस कारण प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही है। इसके अलावा उक्त भूमि का आगे बेचान हो चुका है व खरीददारों का पक्षकार नही बनाया गया है। इस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहते अप्रार्थी सं0 4–रूघनाथराम पुत्र लूम्बाराम फौत हो गये थे, इस कारण पत्रावली कायम मुकान का प्रार्थना पत्र व संशोधित शीर्षक में चल रही थी। अप्रार्थी सं0 4 के का0मु0 की तलबी हेतु आगामी सुनवाई दिनांक 18.7.23 को रखी हुई थी, उसी दिन अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनना बताते हुए उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट द्वारा यह भी आग्रह किया कि प्रार्थी चेनाराम पुत्र खानूराम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज खातेदार खान प्रताप का वारिस नही है, बल्कि चेनाराम खानूराम का पुत्र व लूम्बाराम का पौत्र है। राजस्व रेकर्ड में दर्ज खान प्रताप का कोई जायंदा प्रथम श्रेणी का वारिस नही है, वे लाऔलाद फौत हो गये थे तथा उनका हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनके द्वितीय श्रेणी के वारिस लूम्बाराम के पुत्रों अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं0 2 से 5 में कानूनन निहित हो गया। प्रत्यर्थी सं0 1 का खसरा नं0 1850 में कोई कानूनी अधिकार निहित ही नही है, इसलिए वे राजस्व रेकर्ड में दर्ज खान प्रताप का हिस्सा दुरूस्त करवाने का अधिकारी नही रखते है। आरएलआर एक्ट की धारा 136 में हिस्सा तय करने का प्रावधान नही है, बल्कि खातेदारी हक/हिस्सा नियमित वाद से ही संभव है। प्रार्थी– रेस्पो0सं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई दस्तावेज पेश नही किए गये जिससे यह साबित होता है कि वह खान प्रताप का पुत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य से एक व्यक्ति को ख0नं0 1850 में 1/3 हिस्से का खातेदार मान लिया गया। किसी मृत व्यक्ति के वारिस को तय करने का अधिकार धारा 136 आरएलआर एक्ट में प्राप्त नही है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने व प्रार्थी रेस्पो0सं0 1 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

विरूद्ध अपीलांट्स–प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 द्वारा झूठे कथनों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। वास्तविक्ता में सत्यनारायण वगैरा का इस भूमि से कोई लेना देना नही है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट से आज तक राजस्व रेकर्ड लोहावट विश्नावास वर्तमान में राजस्व ग्राम सिंगडसर के खसरा नं0 1850 रकबा 58.17 बीघा किस्म बारानी दोयम, लुम्बा वल्द सुरा 1/3 हिस्सा, खानिया वल्द प्रतापा 1/3 हिस्सा, चिमा वल्द रामचन्द्र 1/3 हिस्सा कौम विश्नोई खातेदार के नाम दर्ज चली आ रही है। जिसमें खानु वल्द प्रतापा का बिना किसी आधार के 1/3 हिस्से से 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया गया था, जो मात्र सेग्रीगेसन कार्यवाही के दौरान भूलवश दर्ज होने से प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 ने इसकी दुरूस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें तहसीलदार लोहावट द्वारा संपूर्ण राजस्व रेकर्ड की जांच उपरांत अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 23.6.22 में यह उल्लेखित किया कि जमाबंदी ऑनलाईन संवत् 2074–77 वर्ष 2020 से स्थायी दर्ज करते वक्त लिपिकीय भूलवश त्रुटी से तत्का0 पटवारी द्वारा खान वल्द प्रतापा का 1/3 हिस्से के स्थान पर 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया, जो प्रार्थी–चेनाराम द्वारा प्रार्थना पत्र में बताया गया, वो सही है।

रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि सेग्रीगेशन कार्य में लिपिकीय त्रुटीवश प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार उसके पिता खानू वल्द प्रतापा के स्थान पर 1/6 हिस्सा दर्ज हो गया एवं उसके पिता खानु के शेष हिस्से 1/6 की भूमि बाबुराम, सत्यनारायण, प्रेमाराम, फरसाराम पिता जोधाराम, मीरा पत्नी जोधाराम, शांति पत्नी बलवंताराम, रामपाल पुत्र बलवंताराम के हिस्से में बराबर– बराबर दर्ज हो गई। जिससे उक्त खातेदार हिस्सा, जो 1/6 जमाबंदी में दर्ज था, के स्थान पर 1/3 दर्ज हो गया। उक्त खातेदारों में से बाबुराम, प्रेमाराम, परसाराम पुत्रान जोधाराम, शांति पत्नी बलवंताराम, रामपाल पुत्र बलवंताराम द्वारा अपने स्वयं के हिस्से 1/6 X 1/6 बराबर 1/36 गलत दर्ज हिस्से अर्थात गलत हिस्सा दर्ज 1/36 + 1/36 बराबर प्रत्येक 1/18 प्रत्येक के द्वारा अपना कुल हिस्सा 5/36 एवं गलत दर्ज 5/36 हिस्से का बेचान दिनांक 14.9.21 को सत्यनारायण वगैरा को कर दिया गया। अर्थात प्रार्थी चेनाराम के पिता का हिस्सा 1/3 के स्थान पर गलत दर्ज 1/6 करने से अब सत्यनारायण वगैरा द्वारा लोभ में आकर झुठ कथनों का सहारा लेकर यह अपील पेश की है, जो खारिज योग्य है। अपीलांट ने चेनाराम के पिता खानुराम एवं खानुराम के पिता प्रतापाराम के स्थान पर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

लुम्बाराम यह गुमराह करने के लिए लिखा गया है, जबकि अपील में प्रार्थी का नाम व पिता का नाम ही होता है। उक्त खसरान की भूमि में वक्त सेटलमेंट खान पुत्र प्रतापा का हिस्सा 1/3 है, जिसमें सत्यनारायण वगैरा का कोई हक हिस्सा, कब्जा दखल अधिकार नही हैं। अतः अपीलाधीन आदेश बाद संपूर्ण जांच के उपरांत विधिसम्मत पारित होने से यथावत रखने व अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रकट तथ्यों के आधार पर पक्षकारों के मध्य उनके हक, हिस्से, बंट व अधिकार तथा किसी नामजद खातेदार को लेकर परस्पर विवाद अथवा उनके वारिसान संबंधी विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय को खातेदारों के हक, हिस्से, बंट व अधिकार तय करने अथवा उनके वारिसानों को तय करने के अधिकार आरएलआर एक्ट की धारा 136 के तहत प्रदत्त नही है। इन विवादों का निस्तारण खातेदारी घोषणा के नियमित वाद से ही संभव है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत पारित अपीलाधीन आदेश किसी भी सूरत में न्यायोचित प्रतीत नही होने से खारिज योग्य है। उभय पक्ष अपने अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा प्रकरण सं0 80/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2023 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07 **अक्टूबर, 2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

अ.सिंह
07.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर